कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, दुर्ग (छ०ग०)

//ज्ञापन//

क्र/318/स्टेनो/अपर कले/2020 दुर्ग दिनांक 24.03.2020

प्रति,

शाखा प्रबंधक
समस्त बैंक जिला – दुर्ग

विषय :– नोवेल कोरोना वायरस (Covid-19) की रोकथाम हेतु जिले में लगाये गये प्रतिबंधात्मक आदेश में बैंको तथा एटीएम के संचालन हेतु व्यवस्था बाबत्।

संदर्भ :– संचालनालय संस्थागत वित्त, छत्तीसगढ़ का पत्र क्र/315/संसवि/कोरोना /2020 नया रायपुर अटल नगर दिनांक 24.03.2020

---00---

जिले मे नोवेल कोरोना वायरस (Covid-19) के प्रभाव के दृष्टिगत राज्य शासन तथा भारत सरकार द्वारा आवश्यक दिशा–निर्देश समय–समय पर जारी किये जा रहे है। Covid-19 के बचाव तथा फैलाव के नियंत्रण हेतु भारत सरकार द्वारा दिनांक 22 मार्च 2020 को निर्देश जारी किये गये है ताकि ग्राहकों को अतिआवश्यक बैंकिंग सुगमता एवं वायरस के बचाव के साथ प्रदान की जा सकें।

2– भारतीय रिजर्व बैंक तथा इण्डियन बैंक्स एसोसियेशन द्वारा भी देश में कार्यरत बैंको को मार्गदर्शी निर्देश जारी किये गये है, जिससे प्रदेश के नागरिकों की प्राथमिक दिन–प्रतिदिन की आवश्यकताओं जैसे खाने–पीने की वस्तुएं, दवाईयां इत्यादि की पूर्ति की जा सके। इण्डियन बैंक्स एसोसियेशन द्वारा सभी बैंकों को Feasible business continuity plan तैयार करने के निर्देश जारी किये गये है।

3– संदर्भित पत्र में दिये गये निर्देशानुसार बैंक शाखाओं द्वारा निम्नानुसार व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित किया जाना उचित होगा–

1. बैंको द्वारा निम्न आधारभूत सेवाएं सुनिश्चित की जाये – (क) नगद राशि का लेन–देन (ख) रिमिटेंश जैसे कि आरजीटीएस/एनईएफटी आदि (ग) चेक क्लियरिंग की सुविधाएं (घ) मुद्रा तिजोरी का परिचालन (ड) एटीएम का परिचालन (च) शासकीय बैंकिंग व्यवहार की सुविधाएं (छ) सीएसपी/बैंक मित्र द्वारा बैंकिंग सुविधा को उपलब्ध कराना। (छ) बीमा, बीमा के नवीनीकरण एवं संबंधित अन्य सुविधाएं।

2. ग्रहकों द्वारा अन्य खाते में राशि अंतरण हेतु अधिकाधिक ऑनलाईन प्रक्रिया का उपयोग किया जावेगा।

3 जिन खातों में एटीएम कार्ड्स प्रदान किये गये है, ऐसे खातों से नगद निकासी प्राथमिकता पर एटीएम से ही प्राप्त करने की व्यवस्था की जाये।

4 खाते में क्लियरिंग/कलेक्शन के माध्यम से चैक जमा करने हेतु ड्राप बॉक्स का उपयोग किया जाये।

5 बैंक शाखाओं में सेनिटाईजर की व्यवस्था स्टॉफ तथा ग्राहकों हेतु की जाये।

Scanned with CamScanner

6 शाखा में एक समय में 5 से अधिक ग्राहक अंदर प्रविष्ट न हो, ऐसी व्यवस्था की जाये।

7 प्रत्येक एटीएम में यथासम्भव सेनिटाईजर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

8 बैंक शाखा/एटीएम में स्टॉफ एवं ग्राहकों में Social Distance सुनिश्चित करने के प्रयास किये जाये।

9 एटीएम में समय – समय पर नगद राशि भरने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये, जिससे एटीएम खाली नहीं रहे।

10 बैक द्वारा नगद राशि की व्यवस्था हेतु वाहनों के आवागमन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

11 शाखा प्रबंधकों द्वारा सभी कर्मचारी/अधिकारी को निवास एवं कार्यालय के बीच आवागमन एवं बैंको/एटीएम के सुचारू रूप से संचालन हेतु आवश्यक सर्विस प्रोवाईडर/वेंडरर्स को बैंक के द्वारा जारी अधिकृत पास के आधार पर लॉक डाउन वाले क्षेत्र में कार्य करने की अनुमति दी जाये।

12 प्रतिवंधात्मक आदेश के लागू रहने के दौरान (लॉक डाउन अवधि के दौरान) बैंक शाखाओं की कार्यअवधि का निर्धारण नागरिकों की सुविधाओं को सर्वोपरि रखते हुए बैंक द्वारा जारी Master Circular on Customer Service in Bank (DBR No. Leg.BC.21/09.07.006/2015-16 dated July 1, 2015) के पैरा 7.1 के आधार पर किया जाये।

5– आपसे अपेक्षा है कि प्रदेश के नागरिकों की आवश्यकता के दृष्टिगत वैंकिंग सुविधाओं का आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराने एवं Covid-19 के फैलाव से बचने हेतु उपरोक्त विन्दुओं का ध्यान रखा जावेगा।

(कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा अनुमोदित)

अपर कलेक्टर
जिला – दुर्ग

पृ.क./ /स्टेनो/अपर कले/2020 दुर्ग दिनांक 24.03.2020

प्रतिलिपि –

1. संचालक संस्थागत वित्त, छत्तीसगढ़ विभागाध्यक्ष भवन, ब्लॉक–1 चतुर्थ तलत्र नवा रायपुर अटल नगर रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. संभाग आयुक्त दुर्ग जिला – दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला – दुर्ग की ओर सूचनार्थ।
4. अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी दुर्ग जिला दुर्ग की ओर सूचनार्थ।
5. लीड बैंक ऑफिसर बैंक ऑफ बडौदा दुर्ग को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

अपर कलेक्टर
जिला – दुर्ग

Scanned with CamScanner